

23-03-21.

वकीलो द्वारा कार्य स्थगित रहा। अपीलान्ट द्वारा पेश 90 पत्र दि० 5.12.19 का अवलोकन किया। स्वयं अपीलान्ट, उभय पक्ष में राजीनामा होना बताकर अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। अपील की पहचान अधी० श्री रमेश सिंह द्वारा की गई है। अधिवक्ता रस्या० को आपत्ति नहीं है। अतः 90 पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्टेज पर निर्द्धा में शवाहेज की जाती है। पत्रावली फैसल नुमांर लेकर नुमांर से कम की जाने, बाद आप्त का खोल फफर हो।

मु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

02-0-01

02-01-01

02-01-01